संख्या– 565 / XXIV–नवसृजित / 15–07(02) / 20

प्रेषक,

एस0 राजू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित

देहरादूनः दिनांक 04 अगस्त, 2015

विषय– प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ताओं के अल्पकालीन रिक्त पदों पर नितान्त अस्थायी रूप से विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक / सेवायें–2 / 5781 / विजिटिंग शिक्षक / 2015–16 दिनांक 27.05.2015, पत्रांक / सेवायें–2 / 6668 / विजिटिंग शिक्षक / 2015–16 दिनांक 04.06.2015 एवं पत्रांक / सेवायें–2 / 12332 / विजिटिंग शिक्षक / 2015–16 दिनांक 31.06.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में. सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ताओं के अल्पकालीन रिक्त पदों पर नितान्त अस्थायी रूप से विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–151 / XXIV–नवसृजित / 15–07(02) / 2014 दिनांक 13.04.2015 एवं शासनादेश संख्या–389 / XXIV–नवसृजित / 15–07(02) / 14 दिनांक 27.05.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ताओं के अल्पकालीन रिक्त पदों पर नितान्त अस्थायी रूप से विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था इस अनुबन्ध के साथ की जानी होगी कि उनकी व्यवस्था नियमित अध्यापक के कार्यभार ग्रहण करने, अवकाश से लौटने अथवा 89 दिन जो भी पहले हों, तक की जायेगी।

3– इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश दिनांक 13.04.2015 के प्रस्तर–5(अ) में शारीरिक शिक्षा में विजिटिंग शिक्षकों हेतु ऐसे अभ्यर्थियों के लिये जो बी0पी0एड0 / डी0पी0एड0 / व्यायाम रत्न योग्यताधारी हों, के शैक्षिक गुणाकों के निर्धारण हेतु टी0ई0टी0–II को छोड़ते हुये निर्धारित किये जाने एवं प्रशिक्षण (बी0एड0 / एल0टी0) के स्थान पर बी0पी0एड0 / डी0पी0एड0 / व्यायाम रत्न के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर शैक्षिक गुणांक निर्धारित किये जायेंगे।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0 राजू)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–.8.6.8 (1)/XXIV–नवसृजित/15–07(02)/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी द्वारा–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
7. अपर निदेशक, (माध्यमिक), गढ़वाल/कुमायूं मण्डल।
8. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, द्वारा–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, द्वारा–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
10. समस्त प्राचार्य डायट, उत्तराखण्ड, द्वारा–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, द्वारा–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
12- निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वी0एस0 पुण्डीर)
अनु सचिव

कार्यालय–निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून

पृष्ठांकन संख्या/सेवायें–2/13077-82/विजिटिंग शिक्षक/2015–16 दिनांक 05 अगस्त,2015

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को उक्त शासनादेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश में दिए गये निर्देशासानुसार समयान्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

1. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड, द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. अपर निदेशक, (मा0शि0/प्रा0शि0) गढवाल मण्डल पौडी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

05/08/15

(ए0डी0बलोदी)
संयुक्त निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संलग्नक– 'ख'

विजिटिंग शिक्षक (प्रवक्ता/स0अ0 एल0टी0 के रूप में) को कार्य करने हेतु अनुबन्ध पत्र

विद्यालय का नाम–

जनपद–
विषय–
संवर्ग–

यह अनुबन्ध पत्र श्री.....प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य ....जिन्हें प्रथम पक्ष कहा गया है एवं श्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... .....ग्राम.....पोस्ट.....जिला.....जिन्हें द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन आज दिनांक.....को .....बजे निष्पादित किया जाता है–

1. एक शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत द्वितीय पक्ष की तैनाती **89 दिन** या विद्यालय में शिक्षक की नियमित नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानान्तरण/अवकाश/अनुपस्थिति से वापसी, जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।
2. द्वितीय पक्ष विद्यालय में एक विजिटिंग शिक्षक की हैसियत से कार्य करेगा/करेगी तथा वह अपने आप को राजकीय कर्मचारी नहीं समझेगा/समझेगी और न ही उसे राजकीय कर्मचारी के समान लाभ देय होगा और न ही कोई अधिमान अनुमन्य होगा।
3. द्वितीय पक्ष यदि प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करेगा/करेगी अथवा इस हेतु निर्धारित मापदण्डों पर खरा न उतरने पर अध्यापन कार्य करने को दी गयी स्वीकृति किसी भी समय बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये रद्द कर दी जायेगी।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा विनियमितीकरण हेतु किसी प्रकार का दाया मान्य नहीं होगा।
5. द्वितीय पक्ष द्वारा दी गयी सूचना/सूचनाएं तथ्यहीन या असत्य पाये जाने की दशा में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उसे बिना नोटिस के अनुबन्धात्मक रूप में कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा रद्द करते हुए विधिक कार्यवाही करे।
6. द्वितीय पक्ष के विरूद्ध विद्यालय में अथवा स्थानीय स्तर पर विपरीत तथ्य पाये जाने की दशा में अनुबन्ध स्वतः समाप्त समझा जायेगा एवं कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।
7. द्वितीय पक्ष को शिक्षा सत्र के मध्य में उसके कार्य के मूल्यांकन के दौरान सफल न पाये जाने अथवा कार्य व्यहार सन्तोषजनक न पाये जाने की दशा में उसे कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा किसी भी समय पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।
8. इस अनुबन्ध में उल्लिखित पद पर तैनात द्वितीय पक्ष को ..... रूपये प्रतिवादन अथवा अधिकतम ..... रूपये, जो भी कम हो, प्रतिमाह पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकेगा।
9. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष से आवंटित विषय के वादनों का ही अध्यापन करवाया जा सकेगा।
10. द्वितीय पक्ष का आगामी शैक्षिक सत्र के लिए अनुबन्ध बढ़ाये जाने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
11. **द्वितीय पक्ष के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर सम्बन्धित का अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।**

हस्ताक्षर व नाम प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
दिनांक.....

हस्ताक्षर एवं नाम संबधित विजिटिंग शिक्षक
दिनांक.....

हस्ताक्षर साक्षी– 1.....

2.....